न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामरिख बनाम उगचंद वगैरह

किस्म मुकदमाः–बाजदायरी प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 2026 / 84 (किशनगढ़)

प्रार्थना स्वीकार
19/2/26

	श्री मुकेश जैन श्री तेजन्द्रसिंह राठौड	
19.02.2026	रामरिख बनाम उगमचंद वगैरह (2026 / 84) यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र अभिभाषक श्री मुकेश जैन ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.02.2026 को अपील अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किये जाने से पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड एडवोकेट को बाजदायरी प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 03.02.2026 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। हमने ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	